

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक प.3 (17)राज.6/2021/143

जयपुर, दिनांक- 15/12/2021


अधिसूचना

“प्रशासन गांव के संग अभियान-2021” के दौरान इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प. 3(17)राज-6/2021/62 दिनांक 18.08.2021, 3(17)राज-6/2021/63 दिनांक 18.08.2021, 3(17)राज-6/2021/64 दिनांक 18.08.2021, 3(17)राज-6/2021/65 दिनांक 18.08.2021, 3(17)राज-6/2021/66 दिनांक 18.08.2021, 3(17)राज-6/2021/67, दिनांक 18.08.2021, 3(17)राज-6/2021/68 दिनांक 18.08.2021, 3(17)राज-6/2021/69 दिनांक 18.08.2021, 3(17)राज-6/2021/70 दिनांक 18.08.2021, 3(17)राज-6/2021/71 दिनांक 18.08.2021, 3(17)राज-6/2021/76 दिनांक 10.09.2021, 3(17)राज-6/2021/88 दिनांक 30.09.2021, 3(17)राज-6/2021/89 दिनांक 30.09.2021, 3(17)राज-6/2021/90 दिनांक 30.09.2021, 3(17)राज-6/2021/93 दिनांक 01.10.2021, 3(17)राज-6/2021/98 दिनांक 06.10.2021, 3(17)राज-6/2021/99 दिनांक 06.10.2021 एवं 3(17)राज-6/2021/114 दिनांक 20.10.2021 में राज्य सरकार एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

संशोधन


उक्त अधिसूचनाओं में उल्लेखित “प्रशासन गांव के संग अभियान-2021” की अवधि दिनांक 2.10.2021 से 17.12.2021 के स्थान पर दिनांक 02.10.2021 से 28.02.2022 तक के लिये प्रभावशील रहेगी ।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(महावीर प्रसाद मीना)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, मा0 राजस्व मंत्री महोदय।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर।
7. आयुक्त, भू-प्रबंध एवं जागीर, जयपुर।
8. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
9. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
10. सूचना जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
11. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र के विशेषांक दिनांक 15/12/2021 में प्रकाशन हेतु।
12. रा.वि.रा.राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर।
13. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।
14. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव